


| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गोपाल बनाम राज.सरकार व अन्य प्रार्थना पत्र संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025 / 1658 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|--|
| 24.11.2025 | <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। उन्होंने प्रार्थना पत्र बाबत अपील वापस(विद्रो) करने प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पक्षकारान के मध्य प्रकरण में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है, अब कोई विवाद शेष नहीं रहा है। इस कारण से अपीलार्थी अपनी अपील को विद्रो करना चाहता है। अतः प्रार्थना प्रार्थना स्वीकार फरमाया जाकर अपीलार्थी की उक्त अपील विद्रो करने के आदेश फरमाये जावे।</p> <p>हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे विदित होता है कि अपीलार्थी स्वयं ही अपनी अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है एवं विद्रो करना चाह रहा है। ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील विद्रो करने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (पूनम) संभागीय आयुक्त जयपुर। </p> | |